न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 17 / 23 GCMS id : 2023 / 26

1–3. दुर्गालाल, तोलाराम, जगदीश आत्मज स्व. शम्भू
4–6. ममता, सुगना, कमला पुत्रियॉ स्व. शम्भू
7. अर्जुन आत्मज स्व. महावीर (पौत्र शम्भू)
जाति भील, निवासीगण महलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज०टी०ए०
बाबत घोषणा, दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री रामकिशन वर्मा, वादीगण अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.10.2024

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 204 की 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित थी। उपरोक्त भूमि में से 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 24.12.1976 को एडवाइजरी कमेटी व उपजिलाधीश, कोटा द्वारा मुकाम धाकडखेडी पर कीमतन 250 रूपये प्रति बीघा से वादीगण नम्बर 1 ता 5 के पिता व वादी नम्बर–6 के पति व वादी नम्बर–7 के दादा शम्भू आत्मज खेता को आवंटित की गई थी।

~ उक्त आवंटन आदेश की पालना में वादीगण के पिता शम्भू को दिनांक 29.01.1977 को मौके पर जाकर दखल दे दिया गया था। तब से शम्भू आत्मज खेता का उनके जीवनकाल तक कब्जा काश्त चला आ रहा था। उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त निरन्त बहैसियत खातेदार चला आ रहा है।

~ उक्त खसरा नम्बर 204 की 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 04.03.1977 को स्व. शम्भू आत्मज खेता की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई। वादीगण के पिता को जिस स्थान पर कब्जा दिया गया था, आज भी वादीगण उसी स्थान पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

~ इसके बाद सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के पिता की 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 377 रकवा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर भूमि कायम कर वादीगण के पिता शम्भू की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी है।

~ वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर शम्भू आत्मज खेता की गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। आवंटन को 45 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि कानूनन तहसीलदार का यह कर्तव्य माना गया है कि पुराने आवंटन के 10 वर्ष के भीतर गैरखातेदारी से खातेदारी दे दी जानी चाहिये। वर्तमान में तीन वर्ष में खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इस कारण उक्त भूमि आवंटी शम्भू की मृत्यु हो जाने के कारण वादीगण एकमात्र वारिस होने से उनको खातेदार घोषित किया जाना व खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है।

~ वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 25.09.2022 को उक्त भूमि खातेदारी मं दर्ज

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

करने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। यदि उक्त भूमि पर वादीगण को खातेदारी अधिकार देकर वादीगण के खाते दर्ज नहीं की गई तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी।

~ अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा आवंटी शम्भू पुत्र खेता की मृत्यु हो जाने से उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। साथ ही प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह, वादीगण के विवादित आराजी पर किये जाने रहे शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करें।

~ वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में ग्राम प्रहलादपुरा की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

1 – : नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073
2 – : नकल नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 04.03.1977
3 – : नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057.
4 – : काश्त के लिये नई जमीन दिये जाने का आवेदन पत्र जिसके पीछे आवंटन का उल्लेख है, की फोटोप्रति

3- न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी सरकार की (जर्ये तहसीलदार) तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी की दिनांक 22.03.2023 को तलवी हो जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय पत्र क्रमांक : एसीएमको/रीडर/2022/569 दिनांक 06.06.2023 से जवाब दावा/साक्ष्य/रिपोर्ट हेतु लिखे जाने के बावजूद भी उनकी ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब आदि पेश किया गया, फलस्वरूप तलवी के एक साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद दिनांक 22.03.2024 को प्रतिवादीगण का जवाब दावा बन्द किया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

तदुपरान्त वादी गवाह कमला पत्नी स्व. शम्भू के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

4- *प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण का जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर वादीगण के अभिभाषक द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी सम्बन्धी न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुये सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर विद्वान वादीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई, जिसमें वादीगण अभिभाषक द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि –*

~ ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 204 की 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 24.12.1976 को एडवाइजरी कमेटी व उपजिलाधीश, कोटा द्वारा मुकाम धाकडखेडी पर कीमतन 250 रूपये प्रति बीघा से वादीगण नम्बर 1 ता 5 के पिता व वादी नम्बर–6 के पति व वादी नम्बर–7 के दादा स्व. शम्भू आत्मज खेता को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में वादीगण के पिता शम्भू को दिनांक 29.01.1977 को मौके पर जाकर दखल दे दिया गया था तथा उक्त खसरा नम्बर 204 की 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 04.03.1977 को स्व. शम्भू आत्मज खेता की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई। तब से स्व. शम्भू आत्मज खेता का उनके जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का निरन्तर बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण के पिता स्व. शम्भू को जिस स्थान पर कब्जा दिया गया था, आज भी वादीगण उसी स्थान पर काबिज काश्त चले आ रहे है। सेटलमेन्ट उपरान्त उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर कायम कर वादीगण के पिता स्व. शम्भू की गैरखातेदारी में दर्ज कर दिये गये है। वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर शम्भू आत्मज खेता की गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। आवंटन को 45 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि कानूनन तहसीलदार का यह कर्तव्य माना गया

है कि पुराने आवंटन के 10 वर्ष के भीतर गैरखातेदारी से खातेदारी दे दी जानी चाहिये। वर्तमान में तीन वर्ष में खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इस कारण उक्त भूमि आवंटी शम्भू की मृत्यु हो जाने के कारण वादीगण एकमात्र वारिस होने से उनको खातेदार घोषित किया जाना व खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 25.09.2022 को उक्त भूमि खातेदारी मं दर्ज करने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। यदि उक्त भूमि पर वादीगण को खातेदारी अधिकार देकर वादीगण के खाते दर्ज नहीं की गई तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। अतः निवेदन है कि ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर को खातेदार स्व. शम्भू के वारिसान की हैसियत से वादीगण की गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह, वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालय के गत निर्णयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये –

1- RRT 2021 (1), Page 376-378.
2- RRT 2021 (1), Page 352-354.
3- RRT 2022 (2), Page 1198-1203.

5- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- ☞ वादीगण क्रम–1 ता 5 के पिता व वादी नम्बर–6 के पति व वादी नम्बर–7 के दादा स्व. शम्भू आत्मज खेता को ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 204 की 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 24.12.1976 को आवंटित की गई। नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 04.03.1977 से स्व. शम्भू आत्मज खेता की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर कायम किये गये जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में भी स्व. शम्भू आत्मज खेता की गैरखातेदारी में दर्ज है।
- ☞ वादीगण अभिभाषक द्वारा अपने समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार 10 वर्ष में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान प्रावधित है। वर्तमान में उक्त आवंटन नियमों में संशोधन कर तीन वर्ष में आवंटी को खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रावधित है। वर्ष 1999 में 50 प्रतिशत आवंटित भूमि पर काश्त करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
- ☞ आवंटन शर्तो की पालना करने पर आवंटी को गैरखातेदारी प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आज्ञापक प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में पेश दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादीगण के नाम गैरखातेदारी में विवादित आराजी दर्ज किये जाने को लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका है।
- ☞ यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो जिम्मेदारी कानून के तहत धारा 18 नियम 1970 में तहसीलदार को प्रदान की गई है, वह जिम्मेदारी तहसीलदार ने अदृश्य कारणों से नहीं निभाई है।
- ☞ प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जो भी उनके द्वारा प्रेषित नहीं की गई। विवादित आराजी के बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं होने और किसी उच्चस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं होने एवं अन्य कोई विधिक जटिलता नहीं होने तथा वादीगण द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी शर्तो की पालना किये जाने की दशा में प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादीगण को दिनांक 24.12.1976 को ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 204 की 10 बीघा 3 बिस्वा जिसके वर्तमान

सहायक कलक्टर न्यायालय कोटा

खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर है, का आवंटन होने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 04.03.1977 से वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज किये लगभग 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार आवंटी स्व. शम्भू पुत्र खेता एवं शम्भू की मृत्यु उपरान्त वादीगण द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियमानुसार निर्धारित शर्ते पूर्ण किये जाने की स्थिति में वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियमानुसार निर्धारित शर्ते पूर्ण किया जाना पाये जाने पर आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

1–3. दुर्गालाल, तोलाराम, जगदीश आत्मज स्व. शम्भू
4–6. ममता, सुगना, कमला पुत्रियाँ स्व. शम्भू
7. अर्जुन आत्मज स्व. महावीर (पौत्र शम्भू)
जाति भील, निवासीगण महलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — (वादीगणगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 17 / 23
निर्णय दिनांक : 28-10-2024

GCMS id : 2023 / 26

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादीगण अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा उपस्थिति में वादपत्र के कथनों पर बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 28–10–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर फलस्वरूप राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार आवंटी स्व. शम्भू पुत्र खेता एवं शम्भू की मृत्यु उपरान्त वादीगण द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियमानुसार निर्धारित शर्ते पूर्ण किये जाने की स्थिति में वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्धारित शर्ते पूर्ण किया जाना पाये जाने पर आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करावाई जाकर आज तारीख 28 अक्टूबर, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादीगण		रूपया	प्रतिवादीगण		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		